पत्रांक-6/317-09/2003 1952

झारखंड-सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 19.8.04

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल, बक्सीदीया लोहरदगा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

1. विद्यालय प्रबंधन एक वर्ष के अन्दर 60×60 आकार का एक कमरा, 30×30 आकार का एक कमरा एंव 25×25 आकार का एक कमरा निर्माण करेगा । भविष्य में जो कमरे बनाये जायेंगे उनका आकार उपर्युक्त 25×25 से बड़ा हो सकता है, परन्तु कम नहीं ।

2. विद्यालय प्रबंधन सभी शिक्षकों का भुगतान मात्र क्रॉस्ड चेक के माध्यम से करेगा ।

3. विद्यालय प्रबंधन किसी भी छात्र से किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लेगा ।

4. विद्यालय प्रबंधन एक माह के अन्दर अपनी सेवा शर्त्त नियमावली एंव विद्यालय संचालन सेवा नियमावली बनायेगी जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से करायेगा या प्रबन्धन सरकार को यह प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेगें कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये मॉडल सेवा शर्त्त नियमावली को बिना किसी परिवर्तन के अंगीकृत कर लागू करेगी इसकी सूचना सचिव, सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को एक प्रति भेजते हुए दी जायेगी । विद्यालय के द्वारा तैयार की जानेवाली सेवा शर्त नियमावली नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगी एंव इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान होगा ।

विभागीय नियमावली 1055 दिनांक 5.9.2001 के द्वारा विहित निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक व्यय आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो व्यय होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 30 वर्ष के निर्बंधित पट्टा/ लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में कॉपोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

5. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।

6. विद्यालय का कार्य-कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये। छात्र विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धन, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।

7. विद्यालय में छात्रों की सुरक्षित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये

8. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कार्मिकों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

9. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

10. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्शन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।

11. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

12. उपर्युक्त शर्तों या बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

13. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय पर विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़ता हो तो

15. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

16. क्रमांक(1) से (5) तक की शर्तों का अनुपालन समय सीमा के तहत तथा समय-समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धित संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कारवाई भी की जा सकेगी ।

17. गुणवत्ता युक्त पठन-पाठन सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निदेशों का विद्यालय अनुपालन करेगा ।

[redacted]

ह0/-

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा)झारखंड, रांची

ज्ञापांक 1952 /रांची, दिनांक - 19.8.04

प्रतिलिपि, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/8/04

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा)झारखंड, रांची

18/8/04